



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
(पूर्ववर्ती: इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद)
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.
(Formerly: Allahabad State University, Allahabad)

पत्रांक: प्रो०रा०सि०वि०वि०/कु०स०का०/५९९/२०१९

दिनांक: ०७ सितम्बर, २०१९

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की आहूत बैठक दिनांक २६.०८.२०१९ में यह निर्णय लिया गया है कि सत्र २०१९-२० से स्नातक वार्षिक पाठ्यक्रम, परास्नातक सेमेस्टर पाठ्यक्रमों, बी०एड०, एम०एड० एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में सम्पन्न कराई जाने वाली प्रायोगिकी/मौखिकी में अधिकतम ८५ प्रतिशत अंक प्रदान किए जाने की सीमा निर्धारित की गयी है। यदि आन्तरिक/वाह्य परीक्षक द्वारा किसी परीक्षार्थी को प्रायोगिकी/मौखिकी में ८५ प्रतिशत से अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं तो परीक्षार्थी की उस विषय की प्रायोगिक परीक्षा की लिखित उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

अतएव सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय/परीक्षार्थीगण उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

(शोषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. उपकुलसचिव, परीक्षा/विधि/शैक्षणिक।
3. वैयक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक।
4. निजी सचिव कुलपति को, माननीया कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(शोषनाथ पाण्डेय)
कुलसचिव